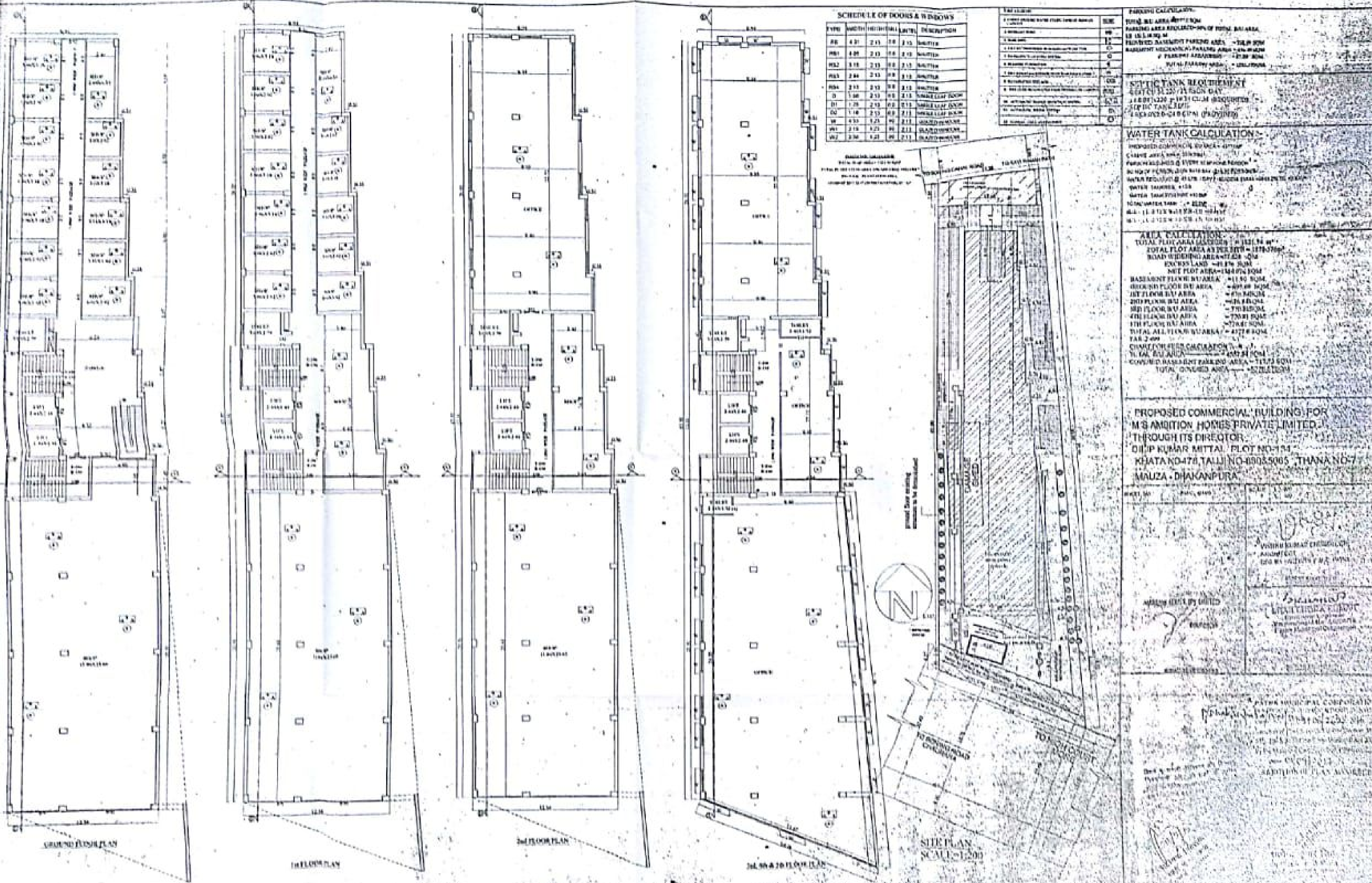
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
PARKING CALCULATION
SEPTIC TANK REQUIREMENT
WATER TANK CALCULATION
AREA CALCULATION
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING FOR
M/S AMBITION HOMES PRIVATE LIMITED
THROUGH ITS DIRECTOR
DILIP KUMAR MITTAL
MAUZA - DHAKANPURA
GROUND FLOOR PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN
SITE PLAN
SCALE=1:200
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

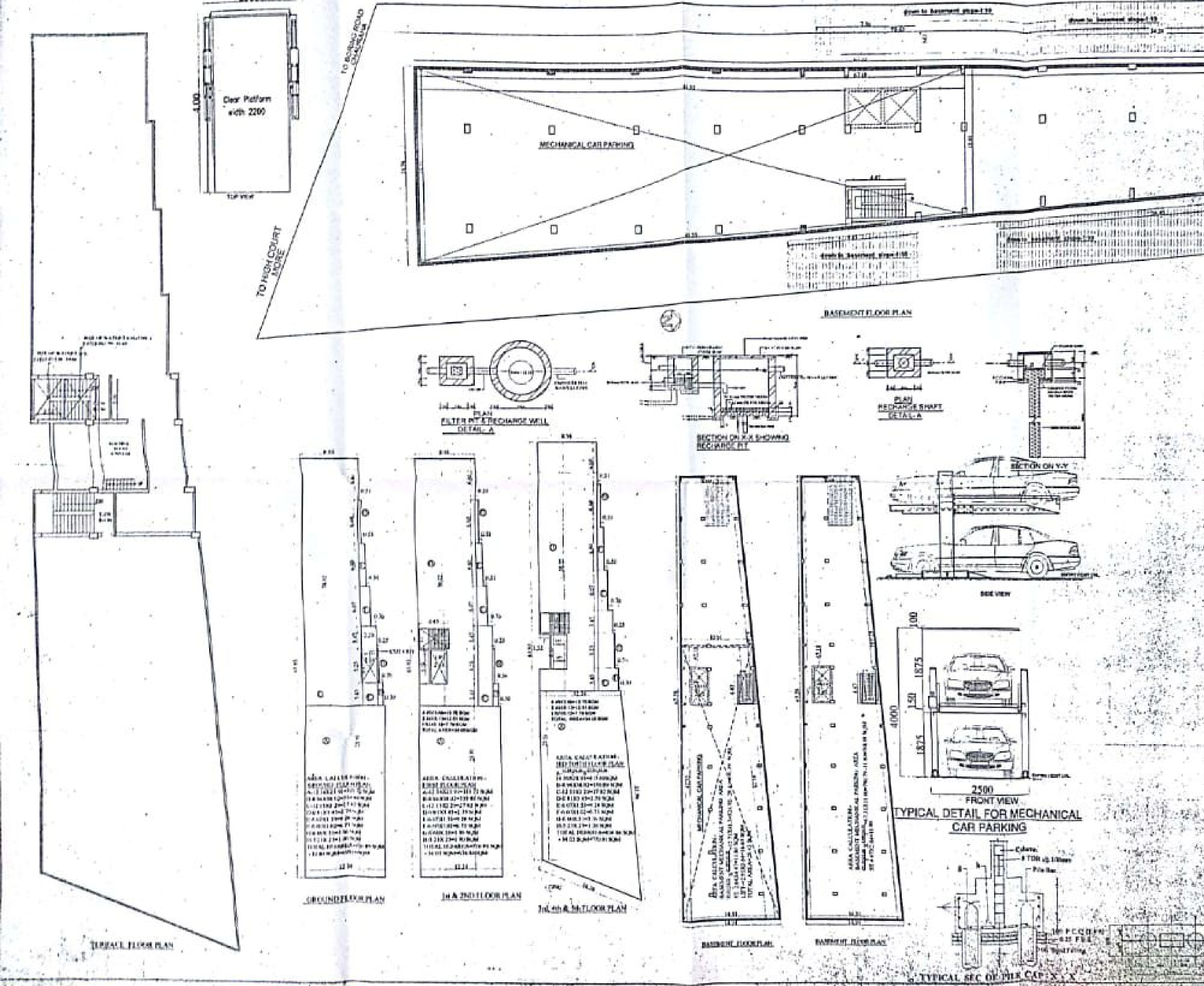

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING FOR
M/S AMBITION HOMES PRIVATE LIMITED
THROUGH ITS DIRECTOR
DILIP KUMAR MITTAL PLOT NO-134,
KHATA NO-472,TAUJI NO-880&5065 ,THANA NO-7
MAUZA - DHAKANPURA

SHEET NO. | SCALE 1 : 200

SIGNATURE OF OWNER

SHAILENDRA KUMAR

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

Sanction of Plan Approved under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on 01/09/2017

SANCTIONED PLAN ACCORDED

पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौर्यलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 10887 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री दिलीप कुमार मित्तल एवं अन्य,
मेसर्स एमबिशन होम्स् प्रा० लि०,
नारायण प्लॉजा के पीछे,
एग्जीविशन रोड, पटना, बिहार।
मोबाईल सं0-9431016879

पटना, दिनांक-16/10/2017 ई0।

विषय:- **प्लान केस सं०-P/Dhakanpura/PCN/B+G+6/262/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Dhakanpura/PCN/B+G+6/262/2016 दिनांक-02.08.2016 के संदर्भ में श्री दिलीप कुमार मित्तल एवं अन्य, मेसर्स एमबिशन होम्स् प्रा0 लि0, नारायण प्लॉजा के पीछे, एग्जीविशन रोड, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... प्लॉट सं0-134 (अंश), खाता संख्या-478, तौजी संख्या-880 एंव 5065, थाना संख्या-7, मौजा-ढ़कनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यावासायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1353.37 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 17.60 मी0 से 18.70 मीटर (भूखण्ड के उत्तर भी 06.10 मी0 से 05.90 मीटर की चौड़ी सड़क है) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 127.50 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

P.T.O.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

"बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना"